| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>दीवानी मूल संख्या 23/2023<br>**शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**13.10.2025**

वकुलाय उपस्थित।

वादी द्वारा दिनांक 15.09.2025 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त वाद विक्रय विलेख दिनांक 14.07.2021 के निष्पादन के समय प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि की अदायगी हेतु प्रदत चैक संख्या 000017 रुपए 21,00,000, चैक संख्या 000018 रुपए 19,20,750, चैक संख्या 00020 रुपए 21,00,000 रुपए, चैक संख्या 000021 रुपए 21,00,000, चैक संख्या 000022 रुपए 21,00,000, चैक संख्या 000023 रुपए 21,00,000 व चैक संख्या 000024 रुपए 21,00,000 कुल 1,45,20,750 रुपए के अनादृत होने के कारण विक्रय प्रतिफल राशि व सूद वसूली हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पद संख्या 9, 12 व 14 में विक्रय प्रतिफल पेटे दिए गए चैक अनादृत होना तथा जवाबदावा पद संख्या 19 में वादी को प्रतिवादी संख्या एक से रुपए 1,45,20,750 लेना बकाया होना स्पष्ट स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी ने जवाबदावा पद संख्या 13 में टाईटल के अंतिम निस्तारण तक भुगतान रोका जाना तथा जवाबदावा पद संख्या 19 में उक्त बकाया राशि पर ब्याज देने हेतु भी स्वयं का तत्पर होना कथन करते वसीयत के संबंध में प्रोबेट की आपत्ति की है। प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथो नहीं आया है। गत पेशियों पर पत्रावली मध्यस्थता हेतु रखी गयी थी और पक्षकारान् के मध्य मध्यस्थ पृथ्वीराज शर्मा व न्यायालय द्वारा समझौते हेतु प्रयास किया गया था परंतु प्रतिवादी विवादित राशि वाले विक्रय विलेख की संपत्ति का प्रोबेट की संपत्ति का प्रोबेट वादी द्वारा पेश करने पर ही बकाया राशि के भुगतान हेतु अड़ा रहा है। परंतु प्रतिवादी द्वारा उसके पूर्व ही विक्रय विलेख दिनांक 09.07.2025 के जरिए वादी से क्रयशुदा भूमि विक्रय कर चुका था और उक्त तथ्य न्यायालय व मध्यस्थ के समक्ष छिपाया है। विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। उक्त प्रलेख वर्तमान विवाद के संबंध में वाद के पूर्ण व अंतिम रूप से निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण, आवश्यक एवं सुसंगत प्रलेख है। विक्रय विलेख की प्रति से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को वादग्रस्त संपत्ति में वादी स्वामित्व के संबंध में कोई शंका आरंभ से नहीं रही है तथा प्रतिवादी द्वारा वसीयत के प्रोबेट की जा रही मांग व संपत्ति के टाईटल के अंतिम निस्तारण तक भुगतान रोकने का अधिकार होने का कथन मिथ्या व काल्पनिक था और बदनीयतीपूर्वक आशय से था। उक्त प्रलेख पूर्व में प्रस्तुत न करने में वादी की कोई बदनीयती या लापरवाही नहीं रही है। उक्त प्रलेख दावा प्रस्तुति के समय तथा विवाद्यक विरचना के पूर्व अस्तित्व में ही नहीं था। अंत में निवेदन किया कि संलग्न प्रस्तुत उक्त प्रलेख विक्रय विलेख दिनांक 09.08.2025 की प्रमाणित प्रति को पत्रावली पर लिया जाने की अनुमति व उसे सिद्ध किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>दीवानी मूल संख्या 23/2023<br>**शिवसिंह बनाम मिनाक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

की।

उपरोक्त पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में किसी भी पक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गयी है। वादी द्वारा जो दस्तावेज पेश किया जा रहा है वह वाद के अंतिम रूप से निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण, आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज है तथा उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक होना बताया हैं और उक्त दस्तावेजों को रेकर्ड पर लिये जाने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा क्योंकि उक्त दस्तावेजों के खण्डन में प्रतिवादीगण के पास दस्तावेज पेश करने एवं साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सि0प्र0सं0 स्वीकार कर उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर लिया जाता हैं।

पत्रावली वास्ते जिरह प्रतिवादी हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो।

(रूपा गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, सिरोही